

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2015—ज्येष्ठ 29, शक 1937

पशुपालन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 2015

क्र. एफ-23-8-2015-पैंतीस.—मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 (क्रमांक 6 सन् 2004) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जिला कलेक्टरों को उक्त अधिनियम के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है।

No. F-23-8-2015-XXXV.—In exercise of the powers conferred by Section 16 of the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004 (No. 6 of 2004), the State Government, hereby, nominates the District Collectors as Competent Authority to perform in any local area the functions of a Competent Authority under the Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला अजीतवार, उपसचिव.